राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

कमांक:राम/प–1/वि/स्था/22/872 दिनांकः– 28/01/22

संयुक्त शासन सचिव,
राजस्व ग्रुप–1 विभाग ,
जयपुर।

विषय : राजस्व विभाग के निजी सहायक को अग्रिम पदोन्नति पर अतिरिक्त निजी सचिव अथवा तहसीलदार पद का विकल्प चुनने का अवसर प्रदान करने एवं मंत्रालयिक कर्मचारियों की समस्याओं एवं मांगों के निराकरण के संबंध मे।

प्रंसग :आपका पत्र कमांक प.11 (3) राज–1/2020दिनांक 27.01.22

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि स्टेनों सवंर्ग में प्रथम पदोन्नति निजी सहायक के पद पर, द्वितीय पदोन्नति अतिरिक्त निजी सचिव के पद की जाती है। संभागीय कार्यालय समस्त एवं जिला कलक्टर समस्त में अतिरिक्त निजी सचिव के बाद निजी सचिव पद स्वीकृत नही होने के कारण इनके पदोन्नति के अवसर समाप्त हो जाते है। संभागीय आयुक्त कार्यालयों एवं जिला कलक्टर्स कार्यालयो में स्ट्रेनों संवर्ग क्लोज केडर समाप्त किया जाकर खुला किया जाता है तो स्ट्रेनों संवर्ग के पदोन्नति के अवसर बढ सकते है।

राजस्थान तहसीलदार सेवा नियमवली 1956 के नियम 29 अनुसार वर्तमान मे तहसीलदार का पद 100 प्रतिशत पदोन्नति का पद है जिसमें संवर्गवार तहसीलदार पद हेतु आरक्षित कोटा का प्रावधान निम्नानुसार है:–

संवर्ग	वर्तमान मे कुल केडर स्ट्रेन्थ	संवर्गवार पदोन्नति कोटा
अति. प्रशा. अधिकारी	290	कुल केडर स्ट्रेंन्थ का 25 प्रतिशत तहसीलदार पद हेतु आरक्षित
सदर मुंसरिम	16	कुल केडर स्ट्रेंन्थ का 25 प्रतिशत तहसीलदार पद हेतु आरक्षित
नायब तहसीलदार	1019	शेष समस्त नायब तहसीलदार से तहसीलदार

संभागीय आयुक्त कार्यालयों एवं जिला कलक्टर कार्यालयों में स्ट्रेनों संवर्ग के कार्मिकों की तहसीलदार सेवा मे पदोन्नति हेतु विकल्प चुनने के सम्बध में नियमों में संशोधन हेतु निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर लिया जाना उचित होगा।

भवदीय

निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर